प्रपत्र – 5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर (अलवर)

(पीठासीन अधिकार लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पर्चा डिक्री

लोक अदालत/कैम्प कोर्ट का स्थान :– ओपीपुरा

उनवान

निन्द लाल वगैरह .... बनाम .... श्योदान वगैरा

दावा बाबत :– इस्तकरार हक काश्तकारी अन्तर्गत धारा 88 रा०का०अधि०

प्रकरण संख्या 21/13 निर्णय दिनांक 25/5/17

वादी की ओर से वकील वादीगण की व प्रतिवादी की ओर से अ०उ० की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 25-5-17 को महेशचन्द मीन (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :– हाल आराजी नं० 457/0.13, 849/0.45, 852/0.44, 456/0.72 हैक्टेयर वाके ग्राम कालीपहाड़ी तहसील मुण्डावर जिला अलवर के हाल रिकार्ड पर से 1/2 भाग की हद तक प्रतिवादी नं० 1 का नाम खारिज किया जाकर उक्त 1/2 भाग के वादीगण को मालिक हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुरूप रिकार्ड में अमल दरामद हो। प्रतिवादी नं० 1 को वादीगण को बतौर स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी को रहन, बेचान आदि से मुन्तकिल नहीं करे, मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। बैंक रहन की स्थिति में पक्षकारान को प्राप्त होने वाले हिस्से रकबे अनुपात में जिम्मेदारी रहेगी। वादशीर्षक निर्णय एवं पर्चा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख 25/5/17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(महेशचन्द मीन)
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामील	–Nil–	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 3. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 5. कमिश्नर की फीस 6. आदेशिका की तामील	–Nil–
योग		योग	

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner